FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).**2022**..FIRNo.(प्रसूरिसं)........420/22 Dateदिनांक)..2/11/22

2. (i) Act (अधिनियम)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)Sections(धाराऐं). ....7....

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं)................ ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)...

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 18-08-2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या).3.Q.Time(समय).. 2.58 pm

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 60 KM उत्तर–पूर्व .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. तारानगर जिला चूरू।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस) Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री सुनील कुमार सोनी..

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) ... श्री हनुमान.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...34 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. ....

(g)(छ) Address (पता) निवासी वार्ड नं0 02 तारानगर जिला चूरू

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री कृष्ण कुमार मुण्ड पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी भगेला तह0 राजगढ जिला चूरू हाल तकनिकी सहायक, कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड तारानगर जिला चूरू।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).......शून्य..

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामे,

श्री मान जी अती पूलीस अधीक्सक
ACB चूरू

विषयः– बिजली बीभाग तारानगर AEN व बाबू कृष्ण कुमार मूण्ड को रिश्वत लेते पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि रोही केलास माईनर पर मेरा खेत हैं। मेरे खेत में मैने लाईट का कनेक्शन के लिए दो महीने पहले फाईल लगा रखी हैं। कनेक्सन ना होने की वजह से मैने पडौसी से लाईट लेकर पंखा चलाता हूँ। आज सुबह 11 बजे मेरे खेत में लाईट विभाग के पवन जी व कृष्ण मूण्ड दोनो आये तो उनको मेरा जो तार पडौसी से ले रखा था वह दिखाई दिया तो उन्होने उनकी फोटो खींची और कहा कि तुमने चोरी की लाईट ले रखी हैं, तुम्हारी VCR भरेगें। यह उन्होने मुझे कहा कि तुम ओफिस में आकर मिलों, तब मै दोपहर बाद उनसे मिला तो पवन जी ने मुझे कहा कि तुम्हारे VCR नही भरेगें, अगर VCR भरेगें तो 3–4 लाख का जुर्माना लगेगा और तेरा लाईट का कनेक्शन नही होगा। तेरे VCR से बचने व कनेक्शन जल्दी करने के लिए कृष्ण से बात कर लों। मै उनको फोन पर कह दूगां और उन्होने कृष्ण जी मूण्ड को फोन कर दिया। इस पर मै कृष्ण मूण्ड से मिला तो कृष्ण ने कहा कि मेरे पास पवन जी का फोन आ गया उन्होने 20,000 रूपये लेने की कहा हैं। तेरी VCR नही भरेगें और कनेक्शन जल्दी कर देगें। कृष्ण मूण्ड व पवन जी AEN मेरे से नाजायज 20,000 रू.मांग रहे हैं। मै उन्हे रिश्वत नही देकर उनको रंगे हाथ पकडाना चाहता हूँ। आप कार्यवाही करें।

दिनांक 18/08/22

प्रार्थी
एसडी सुनील सोनी
सुनील कुमार सोनी
S/o हनुमान सोनी
निवासी वा.–2 तारानगर चूरू
9828313207
8005601294

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 18.08.2022 को को ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस मय कानि ओम प्रकाश व दीपेश कुमार के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के वक्त 3.30 पीएम पर मय सरकारी वाईस रिकॉर्डर व लैपटॉप प्रिन्टर के चूरू से रवाना होकर तारानगर कस्बे के बाहर पंहुचा व परिवादी सुनील सोनी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर उसे बुलाया गया। परिवादी श्री सुनील सोनी पुत्र श्री हनुमान सेानी निवासी वार्ड न0 02 तारानगर मन् उप अधीक्षक के पास आया व बताया कि गांव कैलाश माईनर पर मेरा खेत हैं जिसमें कुऐं के बिजली कनेक्शन हेतु मैने करीब दो महीने पहले बिजली विभाग तारानगर एईएन कार्यालय में फायल लगाई थी। मैने पडौसी से अपने कुऐ तक पंखा चलाने के लिए बिजली का तार लगा रखा हैं। आज सुबह बिजली विभाग तारानगर के पवन जी एईएन व कृष्ण मूंण्ड बाबु मेरे कनेक्शन के सम्बधं में मौका देखने गये थे उस समय मै खेत में नही था। उक्त दोनो ने हमारे खेत में जाकर मुझे फोन पर कहा कि तुमने चोरी की लाईट ले रखी है इसकी वीसीआर भरेगें, हमने फोटो ले ली हैं। आप हमारे ऑफिस आकर मिलो। तब में आज दोपहर बाद बिजली ऑफिस में जाकर पवन जी से मिला तो उन्होने कहा कि तुमने चोरी से लाईट ले रखी है, यदि वीसीआर भर दी तो तीन–चार लाख रूपये का जुर्माना लगेगा और तेरा लाईट कनेक्शन भी नही होगा। अगर आपको जुर्माने से बचना है व कनैक्शन जल्दी कराना है तो खर्चा पानी लगेगा और खर्चे पानी के सम्बधं में आप हमारे कार्यालय के कृष्ण मूण्ड बाबु से

बात कर ले मै उसको कह दूंगा। मैने कृष्ण मूण्ड से बात की तो उसने कहा कि पवन जी का फोन आया था उन्होने तेरी वीसीआर नही भरने व तेरा कनैक्शन जल्दी करने के लिए बीस हजार रूपये खर्चा लेने के लिए मुझे कहा हैं। परिवादी सुनील सोनी द्वारा उपरोक्त तथ्यों की एक लिखित रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी सुनील ने मजीद पूछताछ पर उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुऐ कहा कि पवन जी, कृष्ण मूण्ड के मार्फत 20,000 रूपये रिश्वत के मांग रहे है, जिसे मै नही देना चाहता। मैं उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इन दोनो से कोई जान पहचान नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है, उक्त रिपोर्ट पेश करता हूँ जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाता है फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

परिवादी सुनील सोनी को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पुछा तो बताया कि पवन जी व कृष्ण मूण्ड मुझे अपने कार्यालय में मिल सकते है जिनसे मै अभी जाकर रिश्वत मांगने सम्बधी वार्ता कर सत्यापन करवा सकता हूँ। इस पर परिवादी सुनील सोनी का श्री ओम प्रकाश कानि से परिचय करवाकर परिवादी को सरकारी वॉईस रिकार्डर ऑपरेट करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया गया एवं कानि ओम प्रकाश के साथ रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये परिवादी की मोटर साईकिल से बिजली विभाग तारानगर के लिए रवाना किया गया, मन् उप अधीक्षक मय वाहन के तारानगर कस्बे से बाहर ही मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी सुनील सोनी व कानि ओम प्रकाश मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास वापिस आये व परिवादी ने बताया कि मै व ओम प्रकाश मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर बिजली विभाग तारानगर कार्यालय के पास पंहुचे। कानि ओम प्रकाश ने मेरे को वाईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द किया। मै बिजली कार्यालय में गया तो पवन जी व कृष्ण मूण्ड दोनो साथ ही बाहर खडे थें। कृष्ण मूण्ड मुझे एक तरफ अपने कार्यालय में ले गया। मैने अपने कनैक्शन करने एवं वीसीआर नही भरने के सम्बधं में बात की तो कृष्ण मूण्ड ने मेरे को कहा कि तेरे को बता रखा है बीस हजार रूपये लगेगे। मैने कहा रूपये ज्यादा है तो कृष्ण ने कहा कि हजार–दो हजार कम कर सकता हूँ इससे ज्यादा मै कम नही कर सकता। तब मैने कहा कि तीन हजार कम कर देना मै आपको सतरह हजार दे दुंगा, इस पर मैने मेरे पास 4500 रूपये जेब में थे जो मैने कृष्ण को दिये और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही रूपये है तब कृष्ण मूण्ड ने कहा कि बाकी के साढे बारह हजार रूपये आज ही लाकर दे देना। उक्त वार्ता को मैने वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया हैं। परिवादी सुनील सोनी वाईस रिकॉर्डर पेश किया जो बंद था जिसके बारे में पुछने पर परिवादी ने कहा कि मैने बंद नही किया शायद अपने आप ही बंद हो गया होगा। इस पर वाईस रिकॉर्डर को लैपटॉप से कनैक्ट कर उसमे रिकॉर्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के समक्ष सुना तो उसमें परिवादी के कार्य सम्बंधी वार्ता व आरोपी द्वारा हजार–दो हजार कम कर सतरह दे देना आवाज के पश्चात की कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हैं। चुंकि रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा स्पष्ट रूप से रिश्वत की मांग व राशि बाबत नही कहा गया हैं, इसलिए पुनः परिवादी को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत मांगने के तथ्यों का स्पष्ट सत्यापन करवाया जायेगा।

परिवादी सुनील सोनी ने बताया कि कृष्ण मूण्ड मुझे अब अपने घर पर मिल सकता है मै उसके पास पुनः जाकर रिश्वत मांगने सम्बधी वार्ता कर सकता हूँ। इस पर परिवादी को कानि ओम प्रकाश के साथ रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये पुनः परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी कृष्ण मूण्ड के निवास स्थान तारानगर के लिए रवाना किया गया, मन् उप अधीक्षक मय वाहन के तारानगर कस्बे से बाहर ही मुकीम रहा।

परिवादी सुनील सोनी व कानि ओम प्रकाश मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास वापिस आये व परिवादी ने बताया कि मै व ओम प्रकाश मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर आरोपी कृष्ण मूण्ड के मकान के पास पंहुचे। कानि ओम प्रकाश ने मेरे को वाईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द किया। मै कृष्ण मूण्ड के घर पर चला गया और ओम प्रकाश कानि बाहर ही रूक गया। मैने कृष्ण मूण्ड से दुबारा मेरे कार्य व रिश्वत के बारे में खुलासा वार्ता की तो कृष्ण मूण्ड ने कहा कि कि अब एईएन साहब मकान पर चले गये है अब मै किसको देकर आउ, अब मै आपसे नही मिलुंगा, सुबह मिलुगा। तब मैने मेरी वीसीआर के बारे में पुछा कि कार्यवाही तो नही कर दी है तब कृष्ण जी ने कहा कि मैने उनको कह दिया है कि एक बार रूक जाओ मेरी बात हो गई हैं वह आ रहा हैं। कृष्ण मूण्ड ने कहा कि बात के अनुसार आ जाना तेरे खिलाफ पवन जी वीसीआर भी नही भरेगें तथा तेरे कुऐ का कनैक्शन भी जल्दी कर

देगें। मैने पैसे के लिए कहा तो कृष्ण ने कहा कि कल सुबह दे देना। मैने मेरी व कृष्ण मूण्ड की उक्त वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया हैं। परिवादी सुनील सोनी द्वारा प्रस्तुत वाईस रिकॉर्डर को लैपटॉप से कनैक्ट कर उसमे रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो उसमें परिवादी के कार्य सम्बंधी वार्ता व आरोपी द्वारा पवन जी परिवादी का कार्य वीसीआर नही भरने की व रिश्वत की लेने के लिए सहमत हो रहा हैं। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसिक्रिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी सुनील सोनी को रिश्वती राशि 12,500रूपये लेकर दिनांक 19.08.22 को सुबह कार्यालय चूरू उपस्थित होने हेतु निर्देश देकर रूखस्त दी जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जरिये सरकारी वाहन रवाना चौकी चूरू पंहुचा। सत्यापन वार्ता का वॉइस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा गया। आईन्दा सुबह परिवादी सुनील सोनी के उपस्थित आने पर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 19.08.2022 को वक्त 9.00 एएम पर परिवादी श्री सुनील सोनी हाजिर चौकी आया व बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि बारह हजार पांच सौ साथ लाया हूँ। आयुर्वेद विभाग चूरू से पाबंद शुदा दो सरकारी कर्मचारी श्री जयप्रकाश पूनियां व अशोक कुमार कम्पाउडर हाजिर चोकी आये। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। जिस पर दोनो गवाहों का परिवादी सुनील सोनी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

मन् उप अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी सुनील सोनी ने रूबरू गवाहान, रिश्वत में दिये जाने वाले 12,500रूपये (पांच–पांच सौ के पच्चीस नोट) प्रस्तुत किये। जिनका विवरण फर्द में अंकित किया जाकर सभी नोटो पर श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ. से फिनोल्फथलीन पाऊडर लगवाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह अशोक कुमार से लिवाई गई व परिवादी के पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि आरोपी लेकर कहां रखता है उसका ध्यान रखे, आरोपी से हाथ नहीं मिलावे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल करे तथा यदि सम्भव हो तो अपने सिर पर हाथ फैरकर ट्रेप पार्टी की तरफ ईशारा करे। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात सोडीयम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का श्रवण सिंह के हाथ धुलाकर दृष्टांत देकर परिवादी व गवाहान को महत्व समझाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी सुनील सोनी दोनो गवाह श्री जयप्रकाश पूनिया, अशोक कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स. उ.नि., ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रीपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार, राजपाल सिंह, राजकुमार कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय वालक हिम्मत सिंह व प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूए 7747 मय चालक साबीर अली से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से तारानगर के लिए रवाना होकर न्यायालय तारानगर के आगे पंहुचा। परिवादी सुनील सोनी ने बताया कि आज कार्यालय का अवकाश हैं, आरोपी कृष्ण मूण्ड ने कार्यालय के पास प्राईवेट किराये का मकान ले रखा जो अपने किराये के मकान पर मिल सकता हैं। परिवादी सुनील सोनी को आवश्यक निर्देश देकर आरोपी से सम्पर्क करने के लिए आरोपी के मकान के लिए रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के वहीं पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुऐ।

थोडी देर बाद परिवादी सुनील सोनी बिना ईशारा किये ही मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि मै रवाना होकर आरोपी कृष्ण मूण्ड के किराये के मकान पर पंहुचा जहां पर उसकी पत्नी मिली जिसको कृष्ण के बारे में पुछा गया तो उसने बताया कि गांव गये हुऐ हैं। जिस पर आरोपी कृष्ण मूण्ड से उसके मोबाईल पर सम्पर्क किया तो उसने फोन रिसीव नही किया शायद कृष्ण मूण्ड आज अपने गाव चला गया हैं। कृष्ण मूण्ड आज ही वापिस अपने गांव से आ सकता है तथा मैने उसको घण्टी कर रखी है जो वापिस तारानगर आकर मेरे को फोन कर बुला सकता हैं। परिवादी ने बताया कि हमारे मकान में प्रथम मंजिल पर कमरे बने हुऐ है जिसमें आप इंतजार कर सकते हैं तथा किसी को पता भी नही चलेगा, परिवादी से टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया गया। चुकि आरोपी कृष्ण मूण्ड का इंतजार किया जाना है तथा गोपनीयता की दृष्टी से परिवादी सुनील सोनी को साथ लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस

मय हमराहियान व वाहनों के रवाना होकर परिवादी के मकान पर पंहुच, आरोपी कृष्ण मूण्ड के फोन के इंतजार में मुकीम हुऐ।

चुकि आरोपी कृष्ण मूण्ड के गांव से आने में समय लगने की सम्भावना है। प्रकरण में दिनांक 18.08.2022 को परिवादी सुनील सोनी ने कार्यालय व निवास स्थान पर जाकर आरोपी कृष्ण मूण्ड से की गई रिश्वती मांग सत्यापन की टेप को परिवादी सुनील सोनी व कानि ओम प्रकाश एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर एक को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक डीवीडी अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। दोनो सीडियों को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखा गया।

वक्त 6.30 पीएम तक आरोपी कृष्ण मूण्ड द्वारा परिवादी सुनील सोनी से किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नही किया गया हैं। परिवादी से पुनः आरोपी को फोन कराने से उसे संशय हो सकता हैं। अतः आईन्दा कार्यवाही करने के लिए परिवादी सोनी को हिदायत दी कि आरोपी का फोन आने पर तुरन्त सम्पर्क करें। परिवादी सुनील सोनी की जेब में रखी रिश्वती राशि गवाह अशोक कुमार से निकलवाकर एक कागज में लपेट कर सुरक्षित रखी गई। परिवादी सुनील सोनी को बाद हिदायत घर पर ही छोडकर मै उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के तारानगर से रवाना होकर चूरू पंहुचा। मांग सत्यापन वार्ता की सील्ड एवं खुली डीवीडियों को जमा मालखाना करवाया गया, ट्रेप राशि सुरक्षित रखवाई गई। दोनो गवाहों को गोपनीयता बरतने बाबत हिदायत कर रूखस्त दी गई। आईन्दा परिवादी का फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 21.08.22, 27.08.22 व 30.08.2022 को परिवादी सुनील कुमार सोनी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अब तक आरोपी कृष्ण मूण्ड का फोन मेरे पास नही आया है तथा मै भी उसके पास उसके कार्यालय में गया और मेरे काम के बारे में वार्ता की मेरे से कोई बात नही की। आरोपी कृष्ण मूण्ड को शायद मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही का आभास हो गया लगता हैं। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि चौकी चूरू पंहुचे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

दिनांक 31.08.2022 को परिवादी श्री सुनील सोनी ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर मन् उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 19.08.2022 के बाद मैने एईएन व कृष्ण कुमार मूण्ड बाबु से दो–तीन बार सम्पर्क किया तो उन दोनो ने मेरे से कोई बात नही की तथा ना ही रिश्वत लेने के बारे में बात की। शायद दोनो को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही का पता चल गया हैं, इसलिए दोनो मेरे से रिश्वत नही लेगें। इसलिए अब मै आगे कार्यवाही नही करवाना चाहता हूँ, मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि मुझे लौटाई जावे। परिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बधं में एक रिपोर्ट भी पेश की जो शामिल की गई। चुकि प्रकरण में अब आगे कार्यवाही सम्भव नही है इसलिए परिवादी सुनील सोनी के द्वारा दिनांक 19.08.2022 को पेश की गई रिश्वती राशि 12,500रूपये जो सुरक्षित रखे है को परिवादी सुनील सोनी को जरिये रसीद सुपुर्द कर रसीद शामिल की गई। परिवादी सुनील सोनी को बाद हिदायत इजाजत दी गई, समय–समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

दिनांक 18.08.2022 को परिवादी श्री सुनील कुमार सोनी व कृष्ण कुमार मुण्ड बाबु के मध्य जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड कार्यालय तारानगर में वार्ता हुई जिसको परिवादी ने रिकॉर्ड किया हैं, वार्ता में परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'एक यह कह देना कि मेरी जल्दी से फाईल करवाकर मेरे कनेक्शन वाला जल्दी करवा दे' आरोपी कृष्ण कुमार मुण्ड कहता है कि 'फाईल देखने गये जब ही तो वहा घुम कर फिरकर आयें हैं, नहीं तो कौन जाता, किसको मतलब था बाकी कम ज्यादा वाली मेरी बात सुनो आप, मैं कोई 1000–2000 की तो खींचताण (कम) करूंगा बाकि देखो मेरे से नहीं होगा' तब परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'तीन की कर दो, सतरह दे दूंगा'

दिनांक 18.08.2022 को परिवादी श्री सुनील कुमार सोनी व कृष्ण कुमार मुण्ड बाबु के मध्य आरोपी कृष्ण मुण्ड के निवास पर वार्ता हुई जिसको परिवादी ने रिकॉर्ड किया हैं, वार्ता में परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'आपने कार्यवाही तो नहीं की ना, मरवा मत देना भाईजी' आरोपी कृष्ण कुमार मुण्ड कहता है कि 'ना–ना नहीं की, अब मैं कह रहा हूँ कि अब नही मिल सकता कि अब अगला मकान पर चला गया, अब मैं किसको देकर आउं आप बताओ मकान पर' परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'नहीं वो तो चला गया मान लो, खुश तो हो गया ना' आरोपी कृष्ण मुण्ड कहता है कि 'बस मैनें उनको कह दिया वो आ रहे है, आप थोड़ा

रूक जाओ बात हो गई' परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'इसके लिए....पैसों के लिए, आपने ऐसे कहा था क्या कि हजार–दो हजार कम करो मेरा' आरोपी कृष्ण कुमार मुण्ड कहता है कि 'मैनें जिक ही नहीं किया कि क्या है आप जाओ बाद में मिलुंगा, बाद में मिलुंगा' परिवादी सुनील सोनी कहता है कि 'कल को कहीं ऐसा ना हो जाए भाईजी कि पेल दें' आरोपी कृष्ण मुण्ड कहता है कि 'नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनता है ऐसा नहीं होने दुंगा या तो हम हां भरते ही नहीं, हां भर ली तो ऐसा काम नहीं होगा ठीक हैं। मैनें कहा तब सीधा ही कहा कि मैं तो बीस लूंगा मुझे कहा कि आप चाहे अगले से तीस लो चाहे पचास लो मैं तो इतने लूंगा'

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री सुनील सोनी पुत्र श्री हनुमान सोनी निवासी वार्ड नं. 02 तारानगर जिला चूरू की कैलाश माईनर पर कृषि भूमि हैं जिसमें टयूबवैल पर बिजली कनेक्शन हेतु परिवादी ने दो माह पहले आवेदन भी उपखण्ड कार्यालय तारानगर में कर दिया था परन्तु कनेक्शन अभी तक नही हुआ हैं। परिवादी सुनील सोनी ने पंखा चलाने के लिए अपने खेत पडौसी के मीटर से बिजली ले रखी हैं। दिनांक 18.08.2022 को जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड तारानगर से श्री पवन कुमार सहायक अभियन्ता व कृष्ण कुमार मुण्ड टीएच परिवादी के बिजली कनेक्शन का मौका देखने बाबत उसके खेत में गये और पडौसी ली हुई बिजली बाबत फोटो वगैरा खींच कर लेकर आ गयें। उसके बाद परिवादी सुनील सोनी को फोन करके कहा कि तुमने चोरी की लाईट ले रखी है इसकी वीसीआर भरेगें, हमने फोटो ले ली हैं, आप हमारे ऑफिस आकर मिलो। जिस पर दोपहर बाद परिवादी बिजली ऑफिस में जाकर पवन जी एईएन से मिला तो उन्होने कहा कि तुमने चोरी से लाईट ले रखी है, यदि वीसीआर भर दी तो तीन–चार लाख रूपये का जुर्माना लगेगा और तेरा लाईट कनेक्शन भी नही होगा। अगर आपको जुर्माने से बचना है व कनैक्शन जल्दी कराना है तो खर्चा पानी लगेगा और खर्चे पानी के सम्बधं में आप हमारे कार्यालय के कृष्ण मूण्ड बाबु से बात कर लो। इस पर परिवादी श्री कृष्ण कुमार मुण्ड से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास एईएन साहब का फोन आ गया है। एईएन साहब ने आपकी वी.सी.आर. नही भरने की एवज में 20,000रूपये खर्चे के देने के लिए कहा हैं। जिस पर परिवादी ने कुछ कम करने की कहने पर आरोपी कृष्ण कुमार कुमार मुण्ड तकनिकी सहायक, ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी की वीसीआर नही भरने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दो–तीन हजार कम कर देने की कहते हुऐ 4,500रूपये उसी समय दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किये तथा 12,500रूपये ओर लेने कुल 17,000रू. रिश्वत के लेने के लिए सहमत होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री कृष्ण कुमार मुण्ड पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी भगेला तह0 राजगढ जिला चूरू हाल तकनिकी सहायक, कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड तारानगर जिला चूरू के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कृष्ण कुमार मूण्ड, तकनीकी सहायक, कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम, उपखण्ड तारानगर, जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 420/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3659-63 दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (वि.) जोधपुर डिस्कॉम, चूरू।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

21.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।